International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

डॉ. राममनोहर लोहिया के चिंतन में समाज और लोकतंत्र की संकल्पना

विवेक

प्रस्तावना

डॉ. राममनोहर लोहिया लोकतंत्र के समर्थक एवं समाजवादी विचार को जमीनी आधार देने वाले विचारक व नेता थे। लोहिया लोकसभा में दो बार चुनकर गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह सड़क से लेकर संसद तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वे विपक्षी दलों के लिए एक नजीर के रूप में सामने आया। लोहिया प्रजातांत्रिक समाजवाद के सशक्त प्रवक्ता थे। यही कारण है कि उन्होंने जन शक्ति का समर्थन किया। जन शक्ति से उनका अर्थ जन इच्छा से था। लोहिया मानते थे कि जब तक आम जनता की शासन में भागीदारी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती है। इसके लिए वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनके चौखम्बा राज्य की परिकल्पना में विकेंद्रीकरण था। सत्ता को केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम तक की इकाइयों में बांटना ही चौखंबा राज्य है। उनका मत था कि यह चौखम्बा राज्य कोई नाम मात्र नहीं है बल्कि यह एक वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है तथा एक जीवन प्रणाली है।

लोहिया का सामाजिक चिंतन

डॉ. राममनोहर लोहिया के सामाजिक चिंतन पर निम्नाकित विचार है:-

- **जाति प्रथा**- लोहिया का मत था कि भारत में जो भी विशेषताएं है, उनमें सबसे ज्यादा विध्वंसकारी जाति प्रथा है, जब तक जाति प्रथा नष्ट नहीं की जाती तब तक भारत की उन्नति संभव नहीं है। उनका विचार था कि आर्थिक गैर बराबरी तथा जाति-पांति जुड़वा राक्षस है। अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना जरूरी है। उनका का विचार था कि कर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए न की जन्म की।

  लोहिया ने इतिहास का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि, भारत की एक हजार वर्षों की दासता का मुख्य कारण जाति है, न की आंतरिक झगड़े और छल कपट। उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश में जाति के बंधन ढीले होते है, तब वह देश विदेशी आक्रमण के समक्ष नतमस्तक नहीं होता। भारत में जाति के बंधन सदैव से जकड़े रहे है। जाति प्रथा के कारण निम्न जातियों को राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर अलग कर देती है। जिसका परिणाम यह होता है कि वह देश की रक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर उदासीन हो जाते है। वे सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत ही रहते है,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

केवल उच्च जाति ही देश का कर्णधार बनती है। सामाजिक विषमताओं जिसमें अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, रंगभेद नीति, स्त्री-पुरुष असमानता आदि से लोहिया बहुत दुखी थे तथा हमेशा उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे।

- **महिलाओं के प्रति विचार**- लोहिया महिलाओं के सक्रिय सहयोग के बिना समाजवादी आंदोलन को एक वधूहीन विवाह मानते थे। उनका का मत था कि महिलाओं के लघु तथ्यों से महिलाओं के उत्थान व पतन का संबंध जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार महिलाओं की रसोई की गुलामी विभत्स है तथा चूल्हे का धुआं तो भयंकर है। इसी प्रकार ज्यादातर भारतीय स्त्रियों द्वारा सर्वोदय पूर्व या सूर्यास्त पश्चात शौच जाना व दूर से पानी को लाना भी उनको असहनीय लगा।

  भारतीय संस्कृति में स्त्री-पुरुष के जन्म में भी असमानता है और पुरुष का जन्म सुखद व स्त्री के जन्म को दुखद समझा जाता है। यह दृष्टिकोण ही भारत के पतन का द्वार है। उनका मत था कि महिलाओं की योग्यता, शिक्षा, सुंदरता आदि गौण है जब तक की वर पक्ष को दहेज अधिक मात्रा में नहीं मिले। यह उसी प्रकार है कि गाय दूध की मात्रा में मूल्यवान नहीं बल्कि बछड़े की वजह से मूल्यवान होती है। उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध किया तथा कहा कि जो युवक दहेज लेकर शादी करता है, उसे समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। लोहिया बहुपति प्रथा के विरोधी थे। उनका विचार था कि पत्नी एक पति रख सकती है तो पति को भी एक ही पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए। उनके विचार में पत्नी को भी लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए।

- **रंगभेद नीति** - लोहिया समानता पर बल देते थे और गोरे व काले लोगों में कोई भेद नहीं करते थे। वह देखते थे कि समाज में गोरे व्यक्तियों को सुंदर और काले लोगों को कुरूप माना जाता है। लोहिया का विचार था कि द्रोपदी का रंग भी सांवला था, किन्तु वह अत्यंत प्रबुद्ध महिला थी। राम और कृष्ण जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, काले या सांवले रंग के थे। गोरी राधा सांवले कृष्ण के प्रति प्रेम तो सब जानते है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि बाद के भारत में सुंदरता तथा गोरे रंग को पर्यायवाची मानना आरंभ कर दिया। लोहिया के अनुसार शरीर के अंगों को सुंदरता का मापदंड नहीं माना जा सकता। गोरा व्यक्ति भी सुंदर हो सकता है और काला व्यक्ति भी।

  विश्व की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अभी तक गोरी महिलाओं का चयन होता रहा है, लेकिन अब सुंदरता का संबंध रंग से नहीं होता। लोहिया ने असम तथा तमिल स्त्रियों के सौंदर्य की प्रशंसा की है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

लोहिया का विचार था कि रंगों से सुंदरता का कोई संबंध नहीं होता है। उनका मानना था कि तीन-चार सौ वर्षों से विश्व में गोरे लोगों का राज रहा है, इसलिए गोरे लोग आज सुंदर और बुद्धिमान समझे जाते है। वे चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीति का अखाड़ा, जाति प्रथा का गढ़, रंगभेद का मंदिर, दबाव व दमन का केंद्र न बने। उनका मत था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाति व रंगभेद की समाप्ति करने के लिए सम्यक् दृष्टि तथा सम्यक् बुद्धि से काम करने का प्रयास करें, जिससे रंगभेद की नीति को समाप्त किया जा सके। जुलाई, 1951 में लोहिया ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान हावर्ड विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान जाति व्यवस्था और रंगभेद नीति का विरोध किया था।

- **भाषा संबंधी विचार**- लोहिया अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे और हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित कराने के लिए भरसक प्रयास करते रहे। वे अंग्रेजी भाषा को तत्काल बहिष्कृत करना चाहते थे। उनका मत था कि व्यक्ति अपना कार्य मातृ भाषा में करें। वे चाहते थे कि हिंदी को सरल, सुबोध, सुस्पष्ट व जनसाधारण के समझने योग्य बनाया जाए। लोहिया ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोध किया। लोहिया ने हैदराबाद में हाथों में रंग ब्रश लेकर अंग्रेजी के साइन बोर्ड पोतने निकलते। वे अंग्रेजी भाषा को ज्ञान विज्ञान की समृद्ध भाषा नहीं मानते थे। उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा लेकिन उनका मानना था कि अंग्रेजी भारत की मातृभाषा नहीं, आम बोलचाल की भाषा नहीं तथा गुलाम बनाने वाली भाषा है, इसलिए वे कहते थे कि इस देश की स्थानीय भाषाएं लाओ। लोहिया का मत था कि अंग्रेजी द्वारा न तो हम भाषा समस्याओं को दूर कर सकते है तथा न ही सामाजिक पूर्णता की प्राप्ति संभव है। अतः आवश्यक है कि हमें नई भाषा नीति तय करनी चाहिए, जिससे इन दोनों समस्याओं का समाधान हो सकें।

लोहिया का लोकतांत्रिक चिंतन

डॉ. लोहिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते थे। वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो वर्ग विहीन हो। शासन व्यवस्था के संबंध में लोहिया का मत था कि चार स्तरीय (ग्राम, जिला, प्रांत, केंद्र) होने पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास होगा तथा आर्थिक व सामाजिक शक्तियों का बिखराव होगा, जिसके परिणामस्वरूप जनता में चेतना आएगी जो किसी देश के उत्थान की आवश्यक शर्त है। लोहिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सही मानते थे। उनका मत था कि विश्व भर में लोकतंत्र के अलावा दूसरी शासन व्यवस्था

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उपयुक्त नहीं है। बिना खून बहाए गोली चले बड़ी सरलता से मतपेटी के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। सरकार व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है। वे अहिंसात्मक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे तथा धर्म के सांप्रदायिक व कट्टर स्वरूप को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। उनको मूर्ति पूजा तथा धर्म के विकृत रूप से घृणा थी। लोहिया राजनीति को धर्म के पंजे से मुक्त कराना चाहते थे। उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

लोहिया ही थे जो राजनीति की गंदी गली में भी शुद्ध चरण की बात करते थे। लोहिया एक ऐसे राजनेता थे, जिन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की क्योंकि केरल में पट्टम थाणु पिल्ले की सरकार ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिनमें सात लोग मारे गए तथा आठ घायल हो गये थे। अगस्त 1954 ई. को जेल में राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से लोहिया ने सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की और कहा कि आम जन की जान किसी भी भौतिक संपत्ति से बड़ी होती है।

- **जनशक्ति पर विचार** - लोहिया लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनशक्ति के समर्थक थे। उनका मत था कि जन इच्छा सर्वोपरि है। जनता की शिकायतें सुनने के दिन को जनवाणी दिवस कहते है। इस दिन देशभर के लोग आएंगे तथा संसद के सदस्यों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेंगे। यह परंपरा लोहिया ने शुरू की, जो आज भी चल रही है। लोहिया निजी स्कूलों को खत्म करने तथा सरकारी या नगरपालिकाओं के माध्यम से खोले जाने वाले स्कूलों में गरीब का बेटा भी पढ़ें तथा राष्ट्रपति का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ाने की वकालत की। यह विचार लोहिया के लोकतंत्र में समानता से संबंधित है। लोहिया सत्ता हस्तांतरण के लिए बुलैट की जगह बैलट पर विश्वास था। लोहिया का मत था कि समाज बदलेगा और उठ खड़ा होगा तो अलग-अलग जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय में से लोग निकलेंगे, जिससे एक बेहतर स्थिति समाज में उत्पन्न होगी। इन संगठनों, पार्टीयों, संगठन विचारधाराओं को एक मजबूत भूमिका में आना होगा, जिससे एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो होगा। उनके मत में व्यवस्थापिका जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा है, जिसमें वास्तविक रूप से जन इच्छा व्यक्त होती है। यदि जनता की इच्छा को उसमें न्यायपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से मान्यता न मिल सके तो वह जनता की सच्ची व्यवस्थापिका नहीं है।

  उनका मत था कि लोकसभा या विधानसभा एक आईना है, जिसमें जनता अपने चेहरे को देख सकती है। जन इच्छा को प्रभावशाली बनाने के लिए उनका विचार था कि निम्न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

स्तरीय शक्ति के द्वारा उच्च स्तरीय शक्ति का निर्माण हो। जनता की ताकत ग्राम, जिला, प्रदेश तथा सारे देश की तरफ जाए।

उनका मत था कि लोकतंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई सच्चा विरोधी दल इतना शक्तिशाली न हो जाए कि लोकसभा में इसके कम से कम 51 सदस्य हो, तब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा प्रणालियों का ठीक से विकास नहीं हो सकता। 51 सदस्यों की बात इसलिए लोहिया करते है कि विपक्षी दल अपने बूते पर अविश्वास प्रस्ताव रख सकेगा। लोकतंत्र में लोकसभा की कार्यवाही में लोगों की दिलचस्पी लेने की प्रवृत्ति को जगाने में भी लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोहिया ने लोकसभा तथा संसद को सार्वजनिक प्रतिष्ठा दी।

- **चौखम्बा योजना** - लोहिया राजनीतिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे और उनका मत था कि स्वायत्तशासी गणराज्य आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर संगठित संबंध आपस में जुड़े होने चाहिए। उन्होंने चौखम्बा योजना की स्थापना के लिए संघर्ष कर गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने का भी प्रयास किया। उनके अनुसार देश की तीन चौथाई जनसंख्या गांव में रहकर कृषि और ग्रामीण उद्योग, पशुपालन पर जीवन यापन करती है। गांव के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का मुंह गांव की ओर मोड़ने की बात कही। चौखम्बा राज्य में लोहिया का आग्रह था कि कर के रूप में केंद्र के पास जो धन राज्यों से एकत्र होता है, उसका एक भाग ग्राम को, दूसरा भाग जिले को, तीसरा भाग प्रांत को तथा चौथा भाग केंद्र को प्राप्त होना चाहिए। ताकि प्रत्येक इकाई अपने कार्यों का सही ढंग से संपादन कर सके। उनके अनुसार चौखम्बा राज्य क्षेत्रवाद व गुटबंदी के मुद्दों से परे होगा। यह एक ऐसी संरचना है, जिसमें समाज या सरकार के किसी गुट को संकीर्ण स्वार्थ का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य, किसी भी स्तर पर गुटबंदी द्वारा की जाने वाली शक्ति दुरुपयोग को अच्छी तरह से समझ सकता है। चौखम्बा व्यवस्था में राज्य शक्ति जन संगठनों में विभाजित होती है, जहां प्रत्येक मनुष्य की अपनी प्रमुख भूमिका होती है। जिससे गुटबंदी का प्रश्न नहीं उठता है।

  उनके मत में चौखम्बा राज्य जनता की अकर्मण्यता समाप्त कर भ्रष्ट व्यवस्था से उनको स्वतंत्र करता है। यह राज्य लोकतंत्र की रूपरेखा में बराबरी और हमदर्दी का रंग भरते है। लोहिया प्रजातंत्र को 'जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन' मानते थे। किंतु लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए चौखम्बा राज्य को भी वह आवश्यक समझते थे,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

क्योंकि चौखम्बा राज्य के द्वारा 'समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय का शासन' स्थापित होता है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

लोहिया का मत था कि प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से सफल बनाए जाने से चौखम्बा राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। संपूर्ण दर्शन आम लोगों के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होती है।

चौखंबा राज्य की परिकल्पना के अंतर्गत लोहिया का मत है कि पंचायत देश की संसद का स्थान ले। चौखम्बा राज्य भारतीय संस्कार, परिवेश और परंपरा को बनाए रखेगा। संपूर्ण शक्ति को विभाजित कर केंद्र और प्रांत के अलावा जिले और गांव में बढ़ती जाए। केंद्र तथा प्रांत में उतनी ही शक्ति रहे जितनी आवश्यक हो। जैसे सेना केंद्र में, पुलिस प्रांत में और जहां तक संभव हो अधिक से अधिक शक्ति जिला और गांव में रहे। पुलिस जिले में और सारे विकास का कार्य गांव में हो।

चौखम्बा राज्य साम्यवादी तानाशाही का जवाब था। लोहिया का मत था कि पूंजीवादी शोषण को समाप्त करते हुए भी उसके स्थान पर किसी राक्षसी तानाशाही के उदय को रोकने के लिए आवश्यक है कि राज्य की शक्ति को बांट दिया जाए।

लोहिया सभी लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। पूंजीवाद, साम्यवादी मूल्य के वे विरोधी थे, लेकिन जो लोग साधु महात्माओं की तरह लंगोटी पहनकर रहे, यह भी उन्हें पसंद नहीं था। चौखम्बा राज्य की कल्पना संपूर्ण राज्य व्यवस्था को चार स्तरों पर विकेंद्रित करने से संबंधित थी। केंद्र, राज्य, जिला, गांव इन चारों खंभों पर खड़ी यह व्यवस्था वर्तमान पंचायत प्रणाली से अलग है। वर्तमान पंचायत प्रणाली औपचारिक विकेंद्रीकरण है। इसमें सत्ता और साधनों का वास्तविक विकेंद्रीकरण नहीं होता। पंचायतों के चुनाव होते है और उन्हें कुछ पूंजी साधन भी उपलब्ध कराए जाते है, किंतु हकीक़त में गांव के हर कार्य पर केंद्रीकृत नौकरशाही तंत्र का नियंत्रण बना रहता है। विकेंद्रीकरण एक जीवन दर्शन है, जिसमें संपूर्ण और अंश दोनों की पूर्णता का विचार है।

केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर स्वायत्तता को लाया जाना जरूरी है। जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत की हैसियत यदि केंद्रीकृत नौकरशाही की आज्ञा का पालन करना होगा तो उसमें स्वायत्तता की भावना नहीं आएगी। सत्ता के सही विकेंद्रीकरण के लिए जिला, ब्लॉक आदि के नौकरशाही तंत्र को भी विकेंद्रित कर जन प्रतिनिधि संस्थाओं के अधीन लाना होगा। ग्राम सभाओं को इतने अधिकार देने पड़ेंगे कि वे पंचायतों पर गैर सरकारी अमले का नियंत्रण रख सकें। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

जवाबदेह होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, ठीक उसी तरह जिला और ग्राम स्तर की कार्यपालिकाएं (जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत) जनता की मिनी असेंबलियों अर्थात् ग्राम सभाओं के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। इन मिनी असेंबलियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे कार्यपालिकाओं को अविश्वास प्रस्ताव पास कर भंग कर सके तथा सरकारी तंत्र पर अपनी इच्छा को लागू कर सके। चौखम्बा राज के विकेंद्रीकरण में सत्ता के सभी रूपों का विकेंद्रीकरण समाहित है।

चौखम्बा राज का विकेंद्रीकरण इस विश्वास पर आधारित है कि साधारण से साधारण आदमी भी अपने बारे में और समाज के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है। उसमें विवेक है, निर्णय क्षमता है और वह सामूहिक निर्माण और प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस विश्वास के अभाव में हम किसी भी प्रकार की शक्ति या सत्ता आम जन को सौंपने के लिए तैयार नहीं हो सकते। चौखम्बा राज साधारण जन की क्षमताओं पर विश्वास की एक नई संस्कृति तथा नवीन जीवन प्रणाली है।

उनका मत था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। दिल्ली के सत्ताधारी गांव का दुख दर्द नहीं समझ सकते। वह तो गांव के लोग ही समझेंगे। लोहिया का मत था कि गांव के विकास के लिए योजना स्वयं गांव के लोग ही बनाए, उन्हें योजना के लिए पैसा दे दिया जाना चाहिए। इसी से गांव का विकास हो सकता है। उनका मानना था कि जिस तरह कुर्सी चार पांव पर खड़ी रहती है, अगर एक पांव कमजोर हो तो कुर्सी पर ढंग से बैठ नहीं सकते, उसी तरह सत्ता को भी केंद्र, राज्य, जिले, पंचायत स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र तथा कार्यक्रम सौंप दिया जाए, इसी से देश का विकास होगा।

- **अहिंसात्मक विरोध** - लोहिया ने सविनय अवज्ञा के सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार अन्याय का प्रतिकार करने के दो रूप होते है- हिंसात्मक और अहिंसात्मक। अन्याय के विरोध का अहिंसात्मक तरीका ही सत्याग्रह है। सविनय अवज्ञा इसका एक विशेष अंग है, जिसे लोहिया ने सिविल नाफरमानी का सिद्धांत कहा है। इसका अर्थ है कि अन्याय के प्रति सबल विरोध न कि उसके समक्ष झुकना। सिविल नाफरमानी करने वाला व्यक्ति न तो कमजोर होता है और न ही हिंसक। वे इस संबंध में कहते है कि सिविल नाफरमानी या अन्याय से शांतिपूर्ण लड़ना अपने आप में एक कर्तव्य है।

  लोहिया के विचार में सविनय अवज्ञा का लक्ष्य मात्र अन्यायी के हृदय को परिवर्तित करना ही नहीं है, बल्कि असंख्य जनसमूह का हृदय भी बदलना उसका लक्ष्य है। असमर्थ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

और कमजोर व्यक्तियों को समर्थ बनाकर शोषण, अन्याय, दमन का मुकाबला करना, सविनय अवज्ञा का मूल आधार है। यह किसी को मारने का सिद्धांत नहीं है। लोहिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए सत्याग्रह को एक सशक्त माध्यम मानते थे।

मानवीय करुणा के साथ संतुलित कर्म के लिए लोहिया ने गांधीजी के सत्याग्रह को सिविल नाफरमानी के रूप में अपनाया। उनके अनुसार तर्क अपने आप में काफी नहीं होते, लेकिन हिंसा का बल हमेशा तर्क या औचित्य के पक्ष में नहीं होता। इसके अतिरिक्त हिंसा केवल अपने से दुर्बल शत्रु के विरुद्ध ही कारगर होती है। सिविल नाफरमानी को लोहिया ने इस तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। लोहिया का विचार था कि हिंसात्मक क्रांति न तो उचित है न ही संभव। इसके विपरीत सविनय अवज्ञा उचित भी है और संभव भी है। लोहिया का मत था कि इसके लिए चौड़ी छाती के अलावा किसी और हथियार की जरूरत नहीं। सविनय अवज्ञा को सहयोग का सम्मिश्रण बताते हुए कहा है कि सविनय अवज्ञा करने वाला क्रांतिकारी शुभ कार्यों में सत्ताधारी को सहयोग प्रदान करता है और अशुभ व अन्याय कार्यों में असहयोग कर उसे पतीत होने से बचाता है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा में न्याय करने और अन्याय से संघर्ष करने की शक्ति मिलती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सविनय अवज्ञा लाभकारी है, क्योंकि राष्ट्रीय अन्याय का विरोध करते-करते जनसाधारण को अन्याय का विरोध करना स्वाभाविक लगता है, जिसका प्रयोग विदेशी अत्याचारों के विरोध को आसान बनता है। उनके अनुसार अहिंसात्मक क्रांति जन साधारण से कमजोरी हटाकर उनमें शक्ति का संचार करती है। इससे नैतिक पुनरुत्थान होता है और सिविल नाफरमानी विवेक से कार्य करना सीखती है। इस विचार से सिविल नाफरमानी, वास्तव में न्याय के लिए है, पृथ्वी पर विवेक की मात्रा है। हिंसात्मक क्रांति और सविनय अवज्ञा का कोई मेल नहीं है। सिविल नाफरमानी त्याग, तपस्या, वीरता का पाठ सिखाती है। सिविल नाफरमानी एक ऐसा शस्त्र है, जो अकेले व्यक्ति को बिना समूह के होते हुए बिना हथियार की सहायता से बहादुर बनाता है। लोहिया के अनुसार इसका प्रमुख लक्ष्य अन्यायी का हृदय परिवर्तन नहीं, अपितु साधारण जन का मन परिवर्तन है। गांधीजी समय-समय पर सत्याग्रह के पक्ष में थे, परंतु लोहिया निरंतर सत्याग्रह चाहते थे। लोहिया ने सिविल नाफरमानी और व्यवहारिक स्थायित्व प्रदान किया।

- **सामाजिक स्वतंत्रता-** लोहिया के अनुसार सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत समाज द्वारा मनुष्य की किसी क्षेत्र पर कितना नियंत्रण लगाना उचित होगा अर्थात् समाज का व्यक्ति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

के प्रति क्या व्यवहार हो। इसके साथ ही समाज के लिए उन प्रावधानों की स्वीकृति भी होगी, जहां लघु इकाई के रूप में व्यक्ति की सभी क्षमताओं का विकास हो सके। व्यक्तिगत पूर्णता के लिए लोहिया ने विशेष प्रावधानों को मान्यता दी है, जैसे- विश्व भ्रमण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी कर्मचारी को नागरिक अधिकारों की प्राप्ति आदि। लोहिया मनुष्य को विश्व के किसी भी भाग में घूमने, बसने, मृत्यु को प्राप्त होने पर अंतिम संस्कार की आजादी प्रदान करते है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य को विश्व में कहीं भी घूमने, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में डॉ. लोहिया के सामाजिक और लोकतंत्र के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि वर्तमान में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है मानवाधिकारों की रक्षा करना। समाज के निम्न तबके के व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने की समस्या व्यापक स्तर पर दिखाई देखती है। उन्होंने अपने विचारों में समाज के कमजोर, शोषित, उपेक्षित, गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और मनुष्य के अधिकारों को सुलभ बनाने के लिए अपने चिंतन को केंद्रित किया। उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए व उसे सफल बनाने के लिए विलासी खर्चों पर रोक लगाने, उच्च पदों के लोगों के खर्चों की सुविधाएं घटाने, निम्न लोगों के बोनस बढ़ाने आदि पर जोर दिया। लोहिया ने मानव के वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समता के अधिकार का समर्थन किया। लोहिया लोकतंत्र के समर्थक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भारत का आधार मानने वाले विचारक और नेता थे। वे लोकतंत्र के माध्यम से उन सब लोगों को सत्ता में लाना चाहते थे, जो सामाजिक असमानताओं और कुरीतियों का शिकार थे।

संदर्भ सूची

- भटनागर, राजेंद्र मोहन (1977). डॉ. लोहिया का समाजवादी दर्शन, दिल्ली: किताब घर पब्लिकेशन.
- कपूर, मस्तराम (2003). डॉ. राम मनोहर लोहिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
- दीक्षित, ताराचंद्र (1976). डॉ. लोहिया का समाजवादी दर्शन, इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 12, December- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- जाटव, डी आर (1996). गांधी, लोहिया और अम्बेडकर. जयपुर: समता साहित्य सदन प्रकाशन.
- लोहिया, मनोहर (1963). क्रांति के लिए संगठन, हैदराबाद: नवीन प्रकाशन.
- चंदेल, डॉ. लोकेश कुमार (2013).अम्बेडकर और लोहिया का लोकतंत्र, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.